न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 87 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024 / 213

अनवान

1. दल्लु आत्मज गोदा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मणलाल आत्मज गोदा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुवालाल आत्मज गोदा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गुलाबीदेवी पत्नि गोदा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. शोभालाल आत्मज खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत — वादी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः—14.08.2025

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार मण्डल थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं अणछीदेवी, प्रेमदेवी मृतक के पुत्र कमलेश, घनश्याम, मोहनीदेवी पुत्री गोदा के के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 646 रकबा 0.11 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश है। उक्त वर्णित आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादी आये दिन वादीगण की उक्त आराजियात पर नाजायज दखलदाजी करने लग गया, जिससे वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी रायपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, उसमे न्यायालय द्वारा दिनाक 13—03—2023 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया है। पत्थरगढी आदेश को पालना मे दिनाक 13.06.2024 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वादी की उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी की तो प्रतिवादी संख्या 1 का वादीगण की आराजी संख्या 646 रकबा 0.11 है0 मे से मौके पर 0.06 है0 भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है जो वादीगण की खातेदारी की ही पाई गई जिससे वादीगण को कब्जेयाबी की डिकी बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण

विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की बेदखली की डिक्री सादर फरमाई जावे कि ग्राम गाडरीखेड़ा में स्थित वादीगण की खातेदारी आराजियात 646 रकबा 0.11 है0 मे से 0.06 है0 भूमि से प्रतिवादी का अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 30.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 646 दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी, वादीगण की आराजी संख्या 646 रकबा 0.11 है0 मे से 0.06 है0 भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादीगण लेने का अधिकारी है। प्रतिवादी, वादीगण की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार मण्डल थला की आराजी संख्या 646 रकबा 0.11 है0 मे से 0.06 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाडोती)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 87 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 213

अनवान

1. दल्लु आत्मज गोदा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मणलाल आत्मज गोदा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुवालाल आत्मज गोदा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गुलाबीदेवी पत्नि गोदा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. शोभालाल आत्मज खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार मण्डल थला की आराजी संख्या 646 रकबा 0.11 है0 मे से 0.06 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिकी जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

डिकी आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)

सहायक [illegible] अधिकारी)

राय[illegible]वाड़ा